प्लेटो और अरिस्टॉटल में न्याय की अवधारणा

प्राचीन ग्रीक नैतिक और राजनीतिक दर्शन में भी "न्याय" की अवधारणा की चर्चा हुई है। प्लेटो ने अपनी 'Republic' में व्यक्ति और राज्य दोनो के सन्दर्भ में 'न्याय' की चर्चा की है। प्लेटो के अनुसार राज्य या समाज के संदर्भ में 'न्याय' का अर्थ विभिन्न सामाजिक वर्गों में सामंजस्य। प्लेटो के न्याय की धारणा कुलीनतंत्रीय है। लोकतंत्रीय दृष्टि से इसकी आलोचना भी की गयी है, जैसे कार्ल पॉपर द्वारा। प्लेटो के अनुसार वही राज्य "न्यायपूर्ण" है, जिसमें हर वर्ग "अपना-अपना" काम करे। पॉपर के अनुसार इसका अर्थ हुआ शासक शासन करे, श्रमिक श्रम करे और गुलाम गुलामगीरी। पॉपर की राय में प्लेटो के इस 'न्याय' की धारणा का समता के मूल्य से कोई सम्बन्ध नहीं है। यह वर्ग-शासन और वि. वर्ग विशेषाधिकार का समर्थन है।

अरिस्टॉटल के अनुसार 'न्याय' राजनीतिदर्शन का वास्तविक विषय-वस्तु है। अरिस्टटाल के विचार में राज्य का मुख्य उद्देश्य है न्याय को लागू करना। अरिस्टाटल ने 'वितरणात्मक' (Distributive) और "विनिमयात्मक" (Commutative) न्याय के बीच अन्तर किया है। वितरणात्मक न्याय का सम्बन्ध वर्ग के बीच वस्तुओं के वितरण से है, जबकि विनिमयात्मक न्याय का संबंध इससे है कि किसी विशेष कार्य के सम्पादन में व्यक्ति के साथ कैसे पेश आया जाए। जैसे कि व्यक्ति को दंडित करते समय।

अरिस्टाटल के अनुसार वितरणात्मक न्याय का संबंध "समान लोगों से समानता का व्यवहार" करने से है; जबकि विनिमयात्मक न्याय का संबंध किसी को वह देने से है जिसके वह योग्य हो, या जिसे प्राप्त करने का उसे अधिकार है।

अरिस्टॉटल ने "गणितीय" समानता और 'ज्यामितीय' या "अनुपातिक" समानता के बीच अन्तर किया है। गणितीय समानता के अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति को बराबर हिस्सा दिया जाता है, परन्तु अरिस्टटल कहते हैं कि समान व्यक्तियों को एक समान और असमान व्यक्तियों को असमान हिस्सा दिया जाना चाहिए। अर्थात शासन में उन्हें ही हिस्सा मिलनी चाहिए जिसमें शासन करने की क्षमता हो।

गणितीय समानता का सबन्ध वितरणात्मक न्याय की लोकतान्त्रिक अवधारणा से है, जबकि अनुपातिक समानता की अवधारणा कुलीनतन्त्रीय अवधारणा है। अरिस्टायल द्वारा, असमान वितरण का समर्थन किया गया है। अरिस्टाटल के अनुसार "न्याय" का अर्थ है समान लोगों के साथ समान व्यवहार, और असमान लोगों के साथ उस अनुपात में असमान व्यवहार "जिस अनुपात में उनके बीच प्रासंगिक अन्तर या भेद हो"

समीक्षा :-

"न्याय" जैसी जटिल धारणा पर विचार करते समय कई दृष्टियों से विचार किया जा सकता है। जब कोई व्यक्ति यह प्रश्न आता है कि "न्याय" क्या है? तो ~~उसको क्रम: से क्रम आदि~~ 'न्याय' का अति व्यापक अर्थ है।

स्वतंत्रता समानता और न्याय में संबंध

स्वतंत्रता, समानता तथा न्याय में बहुत निकट का संबंध है। एक शब्द में न्याय का अर्थ है वह सामान्य अधिकार जो सामाजिक सम्बन्धों की स्थापना राज्य के द्वारा की जाती है। न्याय की यह माँग है कि नागरिकों को देश की शासन व्यवस्था में भाग लेना चाहिए तथा लोगों के बन्धन, गरीबी बेरोजगारी आदि से मुक्त होना चाहिए। राजनीतिक स्वतंत्रता तथा आर्थिक समानता के अभाव में न्याय की कल्पना नहीं की जा सकती है। सच सच पूछा जाए तो स्वतंत्रता और समानता वे दो खम्भे हैं जिनपर न्याय रूपी इमारत खड़ी है। इस प्रकार, स्वतंत्रता, समानता और न्याय आपस में निकट रूप से संबंधित है।

निष्कर्ष :- अत: हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता, समानता और न्याय इन तीनों में आपस में गहरा संबंध है। जो सामान्य मनुष्य को नागरिक, सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करता है; वह न्यायपूर्ण समाज है। न्याय और समानता में भी उसी प्रकार का संबंध है जिस प्रकार न्याय और स्वतंत्रता में है। अरस्तू ने तो न्याय को ही समानता कहा है। समानता से तात्पर्य यह है कि जो अधिकार एक मनुष्य को प्राप्त हो। उससे दूसरे को वंचित न किया जाए। न्याय की भी यही माँग है कि सभी व्यक्तियों की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति समान रूप से होनी चाहिए। इस प्रकार, समानता के अभाव में स्वतंत्रता का अस्तित्व नहीं है। समानता के अभाव में न्याय नहीं रहेगा। अत: हम यह कह सकते हैं कि स्वतंत्रता, समानता तथा न्याय एक दूसरे पर आश्रित है, तथा एक दूसरे के पूरक है।